

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:- 211/2009

दायर दिनांक:- 15.09.09

जीसीएमएस नं. 2009/00089

उनवान

शंकर पुत्र श्यामा जाति माली निवासी तुलसीपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला
करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

छोटेखों पुत्र मांग्या जाति तेली निवासी पुराने पोस्ट ऑफिस के पास तहसील
हिण्डौन जिला करौली

—प्रतिवादीगण-05

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 8-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाजु दिलवाने के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 16.09.2022 से कायम मुकाम में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 211/2009 शंकर बनाम छोटे खों अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया
सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली